THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) At present, only urea is under price control and hence covered under the subsidy scheme. All urea manufacturing units are eligible for subsidy. Subsidy is also borne by the Government on import of urea. Besides, Department of Agriculture & Cooperation is implementing a scheme of special concession on decontrolled fertilizers. Under this scheme a special concession of Rs. 1000/ per tonne is paid on sale of Mariate of Potash (MOP) and indigenous Diammonium Phosphate (DAP). A proportionate concession in respect of other indigenous complex fertilizers is also available. Besides, there is a concession of Rs. 340/per tonne on indigenous Single Super Phosphate (SSP).

For the year 1995-96, a provision of Rs. 5400 crores has been made for subsidy on controlled fertilizers. In addition, Department of Agriculture & Cooperation has made a provision of Rs. 500 crores for the scheme of special concession on decontrolled fertilizers.

Funding of NGO's engaged in child welfare by external agencies

1239. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any external agencies have been funding the NGO's for removal of child prostitution and child labour in the country;

(b) if so, details of the funds made available during the last three years; and

(c) the progress made in implementing the programme, and the extent of population covered, programme-wise?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) No external agency has funded NGOs for removal of child prostitution. The Government of India has been participating in the International Programme for Elimination of Child Labour (IPEC) sponsored by International Labour Organisation. Under the Programme assistance is provided mostly to non-governmental organisations for undertaking programmes relating to child labour. For the two biennia 1992-93 and 1994-95 the allocation for India under IPEC was US $ 3.65 million (over Rs. 10 crores). Altogether 89 projects covering about 55,000 children with an outlay of Rs. 8.5 crores have been approved and are at different stages of implementation.

मध्य प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा

1240. श्री राघवजी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जिलावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या योजनाएं बनाई हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट तथा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार अनुबंध-I में उल्लिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिन्हें बागवानी के विकास के लिए बनाया गया है। बागवानी विकास की इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 1994-95 में 458.69 लाख रुपए दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार उपर्युक्त सहायता में से विभिन्न जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। धनराशि का जिलेवार आबंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने उसे दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। 1991-92 से 1994-95 तक दी गई कुल 1145.30 लाख रुपए की राशि में से राज्य सरकार ने विभिन्न बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 776.32 लाख रुपयों का उपयोग किया है।

Illegal fishing in the Territorial Waters

1241. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHIKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of instances of illegal fishing in the territorial waters of India which have come to the notice of Government during the current year;

(b) how many of these were foreign fishing trawlers and how many were unlicenced Indian trawlers;

(c) the steps taken by Government to penalise the illegal trespassers; and

(d) the steps being taken to prevent this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (d) As per the information available, no instances of illegal fishing in the territorial water have come to the notice of the Government during the current year. Fishig in territorial waters is regulated by the Marine Fishing Regulation Acts (MFRAs) enacted by some States. Under these Acts zones for fishing by traditional and mechanised fishing vessels have been demarcated. However, seven foreign fishing vessels have been apprehended by the Coast Guard during the current year under the "Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981'. This Central Act is being administered by the Ministry of Food Processing Industries (MFPI) and fishing by foreign fishing vessels is regulated under the provisions of the above Act. The illegal trespassers (Foriegn Fishing Vessels) are penalised as per the provisions of this Act.

मध्य प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता

1242. श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) अब तक राज्य सरकार को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या गत दो वर्षों की तुलना में राज्य सरकार को उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) 25.8.92 से फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों तथा 10.6.94 से भिन्न विश्लेषण वाले नाइट्रोजिनस उर्वरकों के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप, यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और जिसके लिए प्रत्येक फसल मौसम यथा खरीफ (अप्रैल से सितम्बर) और रबी (अक्तूबर से मार्च) के पहले राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से जरूरत का अनुमान लगाया जाता है। तथापि अन्य उर्वरकों की सम्भावित जरूरत के बारे में सूचना राज्य सरकार से मौसम के शुरू होने से पहले मंगाई जाती है। निम्नलिखित तालिका में खरीफ 95 मौसम के लिए मध्य प्रदेश में यूरिया की अनुमानित मांग और अन्य उर्वरकों की सम्भावित मांग का ब्यौरा दिया गया है:-

क्र. सं.	उत्पाद	अनुमानित/संभावित मांग (लाख मीटरी टन)
1.	यूरिया	6.10
2.	अमोनियम सल्फेट	0.15
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	0.01
4.	डाई अमोनियम फास्फेट	2.25
5.	सिंगल सुपर फास्फेट	4.00
6.	म्यूरिएट आफ पोटाश	0.35
7.	कम्पलैक्सेस	1.07

ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, रबी 95-96 मौसम के लिए यूरिया के अनुमान तथा अन्य नाइट्रोजिनस, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की संभावित मांग उचित समय पर आंकी जाएगी।

(ख) से (घ) जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है, गत दो वर्षों में और वर्तमान खरीफ 95 मौसम में अब तक राज्य को यूरिया की सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है:-

(लाख मीटरी टन)

उपलब्धता	खपत	
1993-94	10.98	9.58
1994-95	11.55	9.83 (अनुमानित)
खरीफ 1995 (1 अप्रैल से 31 जुलाई)	4.37	3.86 (अनुमानित बिक्री)